

श्री.....

प्रकरण सं० २७/२०२२

बनाम श्री.....

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

प्यारजंद व/र अरु वंग.

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

3/3/25

पत्रावली पेश हुई। वादी सं. 1/2 तथा वादी आधी (उफ.) वादी की दि. 10/8/23 एवं दि. 23/8/23 के संशोधित उतरान तथा संशोधित वाद पत्र पेश करने हेतु समझ दिना वा रा है। वाद पत्रों पर रिदाफत की गई की कि संशोधित वाद पत्रों की कोत्रे पर वाद पत्र निर्णय का दिना-नायेगा। वादी के विवेक पर अतिरिक्त प्रमाण दिना जाता है। पत्रावली वाले संशोधित वाद पत्र हेतु दिनांक 10/3/25 को पेश है।

उपरोक्त

3/3/25

10/3/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साक्षिक आदेश दिनांक 10/3/25 को पेश हो।

अज्ञेय शीखर

12/3/25

पत्रावली पेश हुई। वादी आधी (उफ.) वादी आधिकारिक तौर आदेश 23 नियम 1 व धारा 151 वा. बीवानी में उपरान्त पर पेश किया गया। वादी एवं उतरवादी आधिकारिक की उपरान्त पर पर बरतन सुनी गई। बरतन का मतन एवं चिन्तन किया गया। सम्बन्धित कीधी वा. बीवानी के आदेश नियम 23 नियम 3 (ख) के अन्तर्गत वादी को वाद स्वीकार करते हुए नवीन वाद पत्र पेश करने हेतु स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

वादी का उपरान्त पर निर्णय किना जाता है। वादी को वाद स्वीकार करने की प्रस्तावना की जाती है। वादी की नवीन वाद पत्रावली को अन्तर्गत उदता की जाती है। निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली में

समाप्त -

श्री अज्ञेय शीखर
श्रीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. प्यारचन्द उर्फ प्यारा पिता नन्दराम उर्फ नन्दा बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम

वादी

1. देउ पुत्री गोकल बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
2. शान्तिलाल पिता स्व० भंवर लाल बलाई आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
3. कृष्णा पुत्री स्व० भंवर लाल बलाई नाबालिग जरिये संरक्षक माता रतनी पत्नी स्व० भंवर लाल बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
4. मंशा पुत्री स्व० भंवर लाल बलाई नाबालिग जरिये संरक्षक माता रतनी पत्नी स्व० भंवर लाल बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
5. छोटु पिता स्व० भंवर लाल बलाई नाबालिग जरिये संरक्षक माता रतनी पत्नी स्व० भंवर लाल बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
6. रतनी पत्नी स्व० भंवर लाल बलाई आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
7. ताराचन्द पिता हीरा बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी मंगलपुरा तह० एवं जिला भीलवाड़ा
8. देबीलाल पिता गंगाराम बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी मंगलपुरा तह० एवं जिला भीलवाड़ा
9. नोजी बेवा गंगाराम बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी मंगलपुरा तह० एवं जिला भीलवाड़ा
10. मगनी पत्नी स्व० हीरा लाल बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी मंगलपुरा तह० एवं जिला भीलवाड़ा
11. लादु पिता गंगाराम बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी मंगलपुरा तह० एवं जिला भीलवाड़ा
12. लादु पिता मुत० स्व० किशन पिता हीरा बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी मंगलपुरा तह० एवं जिला भीलवाड़ा
13. बाबु लाल पिता भंवर लाल नट जाति नट आयु वयस्क निवासी मंगलपुरा तह० एवं जिला भीलवाड़ा
14. एजी पत्नी नन्दा बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी पासंल तह० एवं जिला भीलवाड़ा
15. गोपी पिता जस्सा बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी पासंल तह० एवं जिला भीलवाड़ा


सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

16. जेराम पिता जस्सा बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी पासंल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
17. प्रेमदेवी पुत्री नन्दलाल बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी पासंल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
18. भैरूलाल पिता नन्दलाल बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी पासंल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
19. भागुती पुत्री नन्दलाल बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी पासंल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
20. सेवा पुत्र जस्सा बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी पासंल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
21. सोहन पिता घीसा रेगर जाति रेगर आयु वयस्क निवासी देवपुरा तह0 आसीन्द जिला भीलवाड़ा
22. रमेशचन्द पिता मोडूराम बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी पासंल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
23. प्रेमदेवी पत्नी गणपत लाल नायक जाति नायक आयु वयस्क निवासी आर0 के0 कोलोनी भीलवाड़ा
24. नगर विकास न्यास भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।
26. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 36/2022 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन उपस्थित - इस वाद में आज तारीख 12.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी को वाद विद्धो करने की अनुमति जारी की जाती है, वादी को नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदत्त की जाती है।


अरुण कुमार जैन
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा